न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 13/2023

उनवान

दीश प्रसाद पुत्र साधुराम
श्वर पुत्र साधा उर्फ साधुराम
स्वरूप पुत्र साधा उर्फ साधुराम
स्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी–ढाणी रघुनाथ सागर वार्ड नं0 1 तन शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला
पर राज0

वादीगण

बनाम

धारी पुत्र मंगला उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी–ढाणी रघुनाथ सागर वार्ड नं0 1 तन शाहपुरा, तह0
हपुरा जिला जयुपर राज0

जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0
नेजर आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 83 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांकः 5/4/23

दावा संक्षेप में यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 0.49, 480 रकबा 0.19, 485 रकबा 1, 488 रकबा 0.67, 493 रकबा 0.46, 495 रकबा 0.18, 505 रकबा 0.26, 506 रकबा 0.28, 508 रकबा 9, कुल किता 9 रकबा 3.23 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा में स्थित जिसकी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 गिरधारी पुत्र मंगला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण का पिता साधा उर्फ साधुराम पुत्र राम साबिक सेटलमेन्ट के पूर्व से ही यानि बरोज लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 10.1955 के समय से ही बहैसियत काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था तथा साधा ई साधुराम की मृत्यु के बाद वादीगण वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी को बहैसियत श्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि वादीगण का पिता एवं प्रतिवादी सं0 1 का पिता मंगला सगे भाई थे किन्तु दोनो अलग अलग ते थे जिनमें मंगला बडा था इस कारण मंगला के नाम ही सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने वाद पत्र के जिमन 1 में वर्णित आराजी का पर्चा खातेदारी वादीगण के पिता साधा उर्फ साधुराम के कब्जे काश्त के परीत गलत एवं गैरकानूनी रूप से बना दिया जबकि वाद ग्रस्त आराजी को कभी भी मंगला ने अथवा तेवादी सं0 1 गिरधारी ने काश्त नहीं की है तथा न ही उनका कब्जा रहा है और न ही उनहोने उक्त राजी का लगान राज में जमा करवाया है उक्त आराजी का लगान वादीगण व उनके पिता साधा उर्फ धुराम द्वारा ही जमा करवाया जाता रहा है इस कारण वाद ग्रस्त आराजी की पर्चा खातेदारी काबिले रूस्ती है।

यह कि वादीगण के पिता साधा उर्फ साधुराम ने प्रतिवादी सं0 1 के पिता मंगला को वाद ग्रस्त आराजी ो खातेदारी उसके नाम दुरूस्त करवाने के लिए कई बार कहा है लेकिन उक्त मंगला हमेशा ही उन्हे वाद स्त आराजी की खातेदारी उसके नाम दुरूस्त करवाने का आश्वासन देता रहा है उक्त साधा उर्फ साधुराम मंगला की मृत्यु के बाद वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 को कई बार वाद ग्रस्त आराजी की खातदारी ादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दुरूस्त करवाने को कई बार कहां है लेकिन प्रतिवादी सं0 1 हमेशा ादीगण को आश्वासन देता रहा है कि उनका भूमि पर कब्जा काश्त तो है ही कभी भी तहसील में चलकर ादीगण के नाम वाद ग्रस्त भूमि की खातेदारी दुरूस्त करवा दूंगा।

यह कि अब जमीनो की कीमत बढ जाने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के मन में दुर्भावना आ गई है ओर ह वाद गस्त आराजी को दीगर व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरणडीड पंजीबद्ध करवाने तथा ादीगण को वाद ग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा है अर्सा पनद्रह दिवस पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 को वाद ग्रस्त आराजी की खातेदारी दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने वाद ग्रस्त आराजी की खातेदारी वादीगण के नाम दुरूस्त करवाने से इंकार कर दिया तथा वादीगण को

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

त आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दी इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ
ाद बाबत घोषणा खातेदारी का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

कि बिनाय दावा वाद पत्र के जिमन नं0 1 लगायत 5 में वर्णित अनुसार वाद ग्रस्त आराजी का पर्चा
री वादीगण व उनके पिता साधा उर्फ साधुराम पुत्र गंगाराम के कब्जे काश्त के विपरीत प्रतिवादी सं0
पेता मंगला के नाम गलत रूप में बन जाने एवं साधा उर्फ साधुराम द्वारा वाद ग्रस्त आराजी की
री दुरूस्ती करवाने के लिए प्रतिवादी सं0 1 के पिता मंगला को कहने एवं उसके द्वारा दुरूस्ती का
मन देते रहने तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 1 को वाद ग्रस्त आराजी की खातेदारी की दुरूस्ती
कहने तथा उसके द्वारा दुरूस्ती का आश्वासन देते रहने किन्तु अब प्रतिवादी सं0 1 के मन में
ा आ जाने के कारण वादीगण को वाद पत्र के जिमन नं0 5 में वर्णित प्रकार से वाद ग्रस्त आराजी
तेदारी वादीगण के नाम दुरूस्त करवाने से इनकार कर देने तथा वादीगण को वाद ग्रस्त आराजी से
बेदखल करने की धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

में निवेदन किया गया कि (क) यह कि वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री फरमाया
वादीगण को हाल आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 0.49, 480 रकबा 0.19, 485 रकबा 0.31, 488
0.67, 493 रकबा 0.46, 495 रकबा 0.18, 505 रकबा 0.26, 506 रकबा 0.28, 508 रकबा 0.39, कुल
9 रकबा 3.23 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा जयपुर का बहिस्सा
बराबर प्रतिवादी सं0 गिरधारी पुत्र मंगला की जगह खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा
घोषणा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

दपत्र पेश होने विधिवत रिपोर्ट ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी
ई । प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 24.03.2023 को जरिये अधिवक्ता श्री परसाराम जाट उपस्थित होकर
दावा मय राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी ने अपने राजीनामे में वाद पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार
हुये दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में
त तथ्यों को दोहराते हुये दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा जाहिर किया की प्रतिवादी भी
वाद पत्र में अकित तथ्यो से सहमत है।

मने पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस का मनन किया ।
दित हाल आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 0.49, 480 रकबा 0.19, 485 रकबा 0.31, 488 रकबा 0.
493 रकबा 0.46, 495 रकबा 0.18, 505 रकबा 0.26, 506 रकबा 0.28, 508 रकबा 0.39, कुल किता 9
ा 3.23 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज
वाद पत्र में अंकित तथ्यो तथा राजीनामा से जाहिर है कि उक्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व से ही
ीयत काश्तकार काबिज है। मुताबिक राजीनामा के दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

तः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 0.49, 480
बा 0.19, 485 रकबा 0.31, 488 रकबा 0.67, 493 रकबा 0.46, 495 रकबा 0.18, 505 रकबा 0.26, 506
बा 0.28, 508 रकबा 0.39, कुल किता 9 रकबा 3.23 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए,
सील शाहपुरा के हाल दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं0 1 गिरधारी पुत्र मंगला जाति जाट का नाम हजफ कर
दीगण को बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को
ाजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु लिखा जावे । पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर
खिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 5/5/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना, आर ए एस**

वाद पत्र संख्या :– **13/2023**

उनवान

दीश प्रसाद पुत्र साधुराम
ेश्वर पुत्र साधा उर्फ साधुराम
वरूप पुत्र साधा उर्फ साधुराम
स्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी–ढाणी रघुनाथ सागर वार्ड नं0 1 तन शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला
पर राज0

वादीगण

बनाम

धारी पुत्र मंगला उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी–ढाणी रघुनाथ सागर वार्ड नं0 1 तन शाहपुरा, तह0
हपुरा जिला जयुपर राज0

जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0
ाजर आईसीआईसीआई बैंक लि0 शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांकः 5/4/23

अतः दावा वादी के हक में डिकी किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 0.49, 480 बा 0.19, 485 रकबा 0.31, 488 रकबा 0.67, 493 रकबा 0.46, 495 रकबा 0.18, 505 रकबा 0.26, 506 बा 0.28, 508 रकबा 0.39, कुल किता 9 रकबा 3.23 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, सील शाहपुरा के हाल दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं0 1 गिरधारी पुत्र मंगला जाति जाट का नाम हजफ कर दीगण को बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को जस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु लिखा जावे ।

निर्णय आज दिनांक .....5/4/23..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे			
वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	